



2026:AHC:128046

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20768 सन 2026

हसन

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत पक्ष(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राजीव सिसोदिया

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया अतिरिक्त हलफनामा अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराधिक संख्या 252 सन 2025 में आवेदक की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल की गई है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत थाना- रमाला, जिला- बागपत में दर्ज है।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ दो मुकदमे दिखाए गए हैं और उन सभी मुकदमों में आवेदक जमानत पर है। गैंग चार्ट में बताए गए मुकदमों के अलावा, आवेदक का नौ मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में जमानत आवेदन में विस्तार से बताया गया है। यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी गुफ़रान को इस न्यायालय की एक पीठ ने अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8348 सन 2026 में 19.3.2026 के आदेश से जमानत दे दी है। वह 12.2.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह के अन्य लाभ उठाने के आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि अगर आरोपी के किसी ऐसे काम या चूक का आरोप नहीं है जो अधिनियम की धारा 2 में दी गई "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के दायरे में आता हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की जा सकती। इस मुकदमे में, प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक मुकदमा(मुकदमों) पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप(आरोपों) या ऐसे तथ्य(तथ्यों) की खोज पर, जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो, जिस मकसद से यह अधिनियम बनाया गया था।

6. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के नियमों का इस्तेमाल बदला लेने, नागरिकों को परेशान करने या डराने या राजनीतिक या दूसरे मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

7. उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में, ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के बड़े अधिकारियों से तारीफ़ पाने या तारीफ़ पाने के लिए अधिनियम के नियमों का इस्तेमाल किया है, जो गलत है।

8. उन्होंने यह भी कहा कि मुकामों के तथ्यों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह मानने के लिए सही आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह ज़मानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक ज़मानत पर रहते हुए कोई अपराध/उल्लंघन नहीं करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा, चाहे वह कुछ भी हो।

9. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मुकदमे में 12.2.2026 से जेल में बंद है और इस बात की कोई आशंका नहीं है कि अगर आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती है, तो वह कानून के रास्ते से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा, साथ ही अभिलेख पर मौजूद सबूत/सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।

10. इन हालात में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

11. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की आवेदन का विरोध किया है, लेकिन यह माना है कि गैंग चार्ट में बताए गए मुकदमों में आवेदक जमानत पर है। वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सह-आरोपी लोगों को इस न्यायालय ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और उसे अपराध करने की गतिविधियों में शामिल होगा और सरकारी गवाहों को डरा-धमकाकर जमानत का गलत इस्तेमाल करेगा।

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस तरह है:-

"(4) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत सज़ा के लायक किसी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति, अगर हिरासत में है, तो उसे जमानत पर या अपने बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक-

(अ) अभियोजन अधिवक्ता को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का मौका दिया गया हो, और

(b) जहाँ अभियोजन अधिवक्ता आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय को यह यकीन हो जाए कि यह मानने के लिए वाजिब आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

13. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) को ध्यान में रखते हुए, मैंने अभिलेख पर मौजूद सबूतों, गैंग-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

14. भारत संघ बनाम क.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 के मुकदमे में यह कहा गया था कि कई निर्णयों में यह माना गया है कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत आज़ादी के सुरक्षा दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता शामिल हैं, बल्कि न्याय तक पहुँच और तेज़ी से सुनवाई भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय लीगल एड कमिटी द्वारा अंडरट्रायल कैदियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बनाम भारत संघ मुकदमे में यह कहा गया था कि विचाराधीन कैदियों को सुनवाई लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के बुरे परिणामों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने वे साबित न हो जाएँ। हालाँकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहाँ प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने और सुनवाई लंबित रहने के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले जोखिम को कम करने की ज़रूरत होती है, न्यायालय को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और आरोपी ने काफी समय तक जेल की सज़ा काट ली है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. ऊपर बताई गई पक्षकारों की दलीलों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई व अन्य एस.एल.पी.(क्रि.) संख्या 5191 सन 2021 को ध्यान में रखते हुए, और मुकदमे के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, ज़मानत आवेदन मंजूर किया जाता है।

16. उक्त अपराध में शामिल आवेदक हसन को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और गवाही के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को सुनवाई के लिए तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

17. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. यह साफ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"